

महत्वपूर्ण
E-mail

पत्र सं०-०९ / विविध-०७-०३/२०२०:-
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिभिर)।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग।

विषय :-

आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली 1962 के प्रावधाना के अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची का पत्रांक-70 दिनांक-06.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली 1962 के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी दिये गये निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

झापांक:-

प्रतिलिपि:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक-70 दिनांक-06.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

झापांक:-

1429

प्रतिलिपि:- बैब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

25/02/2020

ह/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिभिर)

24/02/2020

ह/-
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिभिर)